खण्ड-325, अंक-1
मंगलवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1899
(12 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
अः पद पर कार्य करने हेतु श्री गंगा प्रसाद (एटा) सदस्य, विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना	5
बिना शपथ ग्रहण किए सदस्यों के सदन में बैठने के सम्बन्ध में चेतावनी ..	6
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	6
विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन	6–7
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित, श्री बनारसी दास को बधाई	7–11
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	12
भूतपूर्व सदस्य, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा श्री अयोध्या प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	12–14
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
जौनसार–बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	15
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	15
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	16
यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	16

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तेरहवां) आदेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का अष्टम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	16
भूतपूर्व सदस्य, चौधरी चरण सिंह की रिहाई की सूचना	17
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	17
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया) ..	17–18
नत्थी	19–22

विधान सभा

R.A.
BOSS-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 12 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में कार्यकारी अध्यक्ष, श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा) की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। तत्पश्चात् 11 बजकर 10 मिनट पर अध्यक्ष, श्री बनारसीदास की अध्यक्षता मे कार्यवाही हुई।

उपस्थित सदस्य--392

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह श्री, (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली अमगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह) (जिला बस्ती)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री

ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (जिला इटावा)
गौरी शंकर, श्री (जिला बलिया)
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री (जिला जौनपुर)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (जिला फतेहपुर)
जगन्नाथ सिंह, श्री (जिला बांदा)
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)

प्रताप सिंह, श्री (जिला चमोली)
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रदीप कुमार, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री (जिला गाजियाबाद)
बरफिया लाल, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल, श्री (जिला प्रतापगढ़)
बाबू लाल 'विद्यार्थी', श्री (जिला गोरखपुर)
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू, श्री
ब्रज बल्लभ सिंह, श्री
ब्रज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद, श्री (जिला बुलन्दशहर)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण, 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री

भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसुदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली')
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री

मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रविन्दर, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री (जिला कानपुर)
राम आसरे, श्री (जिला बस्ती)
राम आसरें, श्री (जिला हरदोई)
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
रामबरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुस्ताक, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री

शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर, श्री
श्योराज सिंह, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भूलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री (जिला उन्नाव)
सुन्दर लाल, श्री (जिला बाराबंकी)
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज लोधी, श्री

अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु श्री गंगा प्रसाद (एटा) सदस्य, विधान सभा की श्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की सूचना

सचिव, विधान सभा—

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप को ज्ञात होगा कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं अतएव श्री राज्यपाल ने आज की कार्यवाही के संचालन हेतु इस प्रकार आदेश दिए हैं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। और उसके अध्यक्ष का पद भी उक्त सभा के दिनांक 12 जुलाई, 1977 के उपवेशन के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व रिक्त हो जायगा।

अतएव, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 180 के खंड (1) द्वारा मुझे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, मर्रि चेन्ना रेड्डी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री गंगा प्रसाद, एटा से विधान सभा के सदस्य को, उक्त उपवेशन के प्रारम्भ से उस समय तक के लिए जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 178 के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, अध्यक्ष पद का कार्य करने के लिए नियुक्त करता हूं।"

अब मैं मार्शल से कहूंगा कि वह कार्यवाहक अध्यक्ष को लिवा लायें।

(श्री गंगा प्रसाद वर्मा ने अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण किया।)

बिना शपथ ग्रहण किए सदस्यों के सदन में बैठने के सम्बन्ध में चेतावनी

कार्यकारी अध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मुझे यह सूचित करना है कि जिन माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे सदन में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। यदि कोई माननीय सदस्य बिना शपथ लिए या प्रतिज्ञान किये हुए सदन में बैठेगा तो संविधान के अनुच्छेद 193 के अन्तर्गत 500 रुपए प्रति दिन दन्ड का भागी होगा। इसलिए मेरा उन सभी सदस्यों से जिन्होंने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है, निवेदन है कि वे कृपया पहले शपथ ग्रहण कर लें।

(कुछ क्षण वाद)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास सूची होगी, जिन माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की है उन्हें क्यों नहीं पुकारा जाता शपथ ग्रहण करने के लिए?

कार्यकारी अध्यक्ष—

जिन्होंने शपथ नहीं ली है वे आकर शपथ ले लें। (कुछ समय प्रतीक्षा की गई)।

सचिव, विधान सभा—

जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है उनके नाम इस प्रकार हैं:—

श्री किशन लाल (पीलीभीत), श्री पद्माकर (आजमगढ़), श्रीमती शकुन्तला नायर (बहराइच), श्री सुखदराज सिंह (बहराइच), श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह (आगरा), श्री गुलाब सेहरा (आगरा), श्री गणेश दत्त बाजपेयी (कानपुर), श्री शिवदास (मिर्जापुर), श्री मंजूर अहमद (मेरठ), श्री बालकृष्ण, श्री फजलुल बारी।

श्री फजलुल बारी ने शपथ ग्रहण की।

कार्यकारी अध्यक्ष—

कोई और सदस्य हों तो शपथ ले सकते हैं। (कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद) अब मैं आगे की कार्यवाही शुरू करता हूं।

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज 11 बजे पूर्वाह्न का समय नियत किया था। उक्त नियम के उपनियम (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन-पत्र कल 11 जुलाई, 1977 को मध्याह्न के पूर्व तक दिए जा सकते थे। निर्धारित समय के भीतर 4 नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन सब में श्री बनारसी दास का नाम प्रस्थापित किया गया है। इनका प्रस्ताव सर्वश्री राम प्रकाश, सत्य प्रकाश मालवीय, सत्यदेव त्रिपाठी तथा सत्य प्रकाश द्वारा किया गया है और इन प्रस्तावों का समर्थन क्रमशः श्री रेवती रमण सिंह, श्री हरीश चन्द्र उर्फ हरीश जी, श्री छोटे लाल तथा श्री गणेश दत्त बाजपेयी द्वारा किया गया है।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी सुनाई नहीं पड़ रहा है।

कार्यकारी अध्यक्ष—

श्री गणेशदत्त बाजपेयी ने अभी सदस्यता की शपथ ग्रहण नहीं की है। अतः उनके द्वारा समर्थित नाम-निर्देशन-पत्र अवैध है। चूंकि शष तीन वैध नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है, इसलिए मतदान का प्रश्न नहीं उठता। अतः मैं श्री बनारसी दास को अध्यक्ष पद

के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा करता हूं। इससे पहले कि मैं माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन करूं कि वे श्री बनारसी दास को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करायें, मैं श्री बनारसी दास को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। श्री बनारसी दास कई मंत्रि-मन्डलों में सदस्य रह चुके हैं और उनके पास संसदीय कार्य का पोर्टफोलियो भी रहा था। वे अध्यक्ष-पद की परम्पराओं और संसदीय प्रक्रिया के अच्छे ज्ञाता हैं और इसी लिए आज वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें बराबर ऐसी शक्ति देता रहे कि वे अपने अध्यक्ष-पद के इस गम्भीर एवं उत्तरदायित्व पूर्ण पद का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करने में सफल हों और वे सच्चे माने में सदन के अधिकारी सिद्ध हों। अब मैं माननीय श्री राम नरेश यादव, नेता सदन तथा माननीय श्री नारायणदत्त तिवारी, नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे श्री बनारसी दास को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करायें।

(दोनों पक्षों की ओर से मेजें थपथपाई गयीं)

(माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल ने श्री अध्यक्ष को उनके आसन तक पहुंचाया।)

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री बनारसी दास को बधाई

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सदन की ओर से अध्यक्ष पद के महत्वपूर्ण और सम्मानित पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके सर्वसम्मत निर्वाचन में समस्त दलों ने जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। इस सदन की यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष का पद सदैव विवाद से परे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सदन के सभी पक्षों का पूर्ण ध्यान रखेंगे। आपकी विद्वता एवं संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी निर्विवाद है। आप इस प्रदेश के दीर्घकाल तक संसदीय कार्य मन्त्री रहे हैं और इस कारण आपके उक्त अनुभव से सदन लाभान्वित होगा। इसके अतिरिक्त आप एक लम्बे अर्से तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे हैं। उसकी परम्पराएं भी मदद करेंगी। समाज सेवा एवं सार्वजनिक जीवन में आपकी जो सेवाएं हैं, उनका लाभ भी मिलता रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सार्वजनिक एवं शासकीय जीवन के दीर्घ-कालीन अनुभव से यह सदन लाभान्वित होता रहेगा। आप इस सदन की गौरवपूर्ण परम्परा को बनाए रखेंगे और इस सदन को यह पूर्ण विश्वास है कि आपके अध्यक्ष काल में संसदीय एवं प्रजातांत्रिक पद्धतियों का विकास होता रहेगा। श्रीमन्, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा पक्ष संसदीय मान्यताओं, नियमों आदि के परिपालन में सदैव आपका सहायक रहेगा और आपके दिखाए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास करेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस उत्तर प्रदेश के सप्तम अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए आपको अपने दल की ओर से, समस्त विरोधी दल की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। आपको श्रीमन, इस पद पर बैठा देखकर, इस पद को सुशोभित करते देखकर कई स्मृतियां ताजी हो रही हैं। श्रीमन, मैंने सन् 1952 में जब सबसे पहली बार इस विधान सभा में प्रवेश किया था, उस समय इस सदन में संसदीय कार्यों को चलाते हुए और यहां के जो नियम और मर्यादाएं हैं, उनको परिचालित करते हुए उस अवसर पर मैंने देखा था। जबकि माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी इस सदन के माननीय नेता थे। श्रीमन्, आपका विशद राजनैतिक जीवन कंटकाकीर्ण पन्थों से आवृत रहा है। श्रीमन्, आप न केवल स्वतन्त्रता संग्राम के अनन्यतम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सनानियों में से हैं, आप बुलन्दशहर के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी रहे हैं, अपितु प्रदेश में उसकी एक छाप रही है। 1946 में पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के रूप में प्रथम बार इस सदन में आकर और शासन में रहकर आपने प्रशासकीय अनुभव भी प्राप्त किया है और संसदीय कार्य-कलापों का भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। इस सदन में संसदीय कार्य मन्त्री के रूप में, जैसा कि नेता सदन ने कहा, आपने यहां संसदीय परिपाटी और परम्पराओं को निभाने के लिए अपनी योग्यता का प्रमाण दिया। श्रीमन्, उस समय मुझे विरोधी दल में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त था और संसदीय कार्य मन्त्री होने के नाते लगभग प्रति दिन विवाद करने, शंका समाधान करने, विभिन्न समस्याओं पर परामर्श करने, जनता के जलते हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में, उनके समाधान के हेतु चेष्टा करने और इस सदन में मर्यादानुकूल वाद-विवाद के सम्बन्ध मे जो प्रश्न उठते थे, उनमें आपकी सहायता और आपके मार्ग-दर्शन का उस समय हमें अनुभव प्राप्त हुआ। आप का वह अनुभव, मुझे विश्वास है, जबकि आप अध्यक्ष हो गए हैं, इस सातवीं विधान सभा के अन्तर्गत समवेत इस सदन की जो मान-मर्यादाएं हैं, उनको अधिक संजोने में, पुरानी परम्पराओं को कायम रखते हुए, नई परम्पराओं को कायम करने मे आप सफल होंगे। इसका मुझे विश्वास है। नेता सदन के इस आश्वासन को पृष्ठभूमि मान कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि शासक दल इस सदन की जो संसदीय परम्पराएं और मान्यताएं हैं, नियम हैं, उनका पूरा पालन करेगा। मैं उनकी घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि इस सदन में अब और भी आवश्यक हो गया है, इस नई पृष्ठभूमि में, सदन की जो परम्पराएं और मान्यताएं हैं, उन पर एक बार फिर हम अपने विश्वास को दोहराएं। उन्होंने उस विश्वास को दोहराया यह उचित किया। इससे आपकी सहायता होगी। मैं विरोधी दल की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा विरोधी दल भी सदन की मान-मर्यादा को रखते हुए, जो विरोधी दल के मर्यादानुकूल परम्पराएं हैं, उनको निभाने में पूरा सहयोग देगा। हमारी चेष्टा होगी कि हम उन परम्पराओं को और संजोएं, उनको पुंजीबद्ध करें और नए मानदण्डों के द्वारा, आपके द्वारा जो रूलिंग और व्यवस्थाएं होंगी उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सदन का जो गौरव है, जिस-को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, और राष्ट्र में इस विधान सभा की कार्यवाहियों की जो छाप है, वह छाप आपके मार्ग दर्शन में, इस सदन की कार्यवाहियों का जो प्रतिबिम्बन है, जो सदन की प्रतिष्ठा है, वह देश के अन्तर्गत और जो कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन के सदस्य हैं और जो दूसरे इन्टरनेशनल संस्थाओं के सदस्य हैं, वहां पर जैसे पहले आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों के माध्यम से मर्यादाएं बढ़ी हैं, आपके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और राष्ट्रीय सम्मे-लनों में वह मर्यादाएं हमारी बढ़ेंगी।

यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस विधान सभा में दोनों पक्षों में, चाहे शासन पक्ष हो या विरोधी पक्ष, बहुत से हमारे प्रतिभावान नए विधायक आए हैं। मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में जो नया रक्त आया है, वह किसी दूसरी विधान सभा की तुलना में अधिक सजीव रक्त आया है। मुझे विश्वास है कि जो नया रक्त प्रवाहित हुआ है वह संसदीय प्रक्रिया और परम्पराओं का अध्ययन करेगा और सदन की जो समितियां हैं, उनके अन्तर्गत हमारे जो नवयुवक विधायक हैं, उनको अवसर प्राप्त होगा और वह जो संसदीय परम्पराएं हैं, उनके मंजे हुए खिलाड़ी साबित होंगे और भविष्य में इस सदन के माध्यम से प्रदेश और देश की सेवा कर सकेंगे।

श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि आपका मार्ग दर्शन हम सभी विधायकों को इस दृष्टि-कोण से प्राप्त होगा। यहां पर बहुत से अनुभवी चेहरे हैं और नए चेहरे भी हैं। शासन में कार्य करने का अनुभव रखने वाले लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस कठिन कार्य में घात प्रतिघात हों और कभी-कभी ऐसा लगे कि बहुत कड़ुवाहट भी हो, लेकिन हम ऐसा वातावरण बनाए रखेंगे कि कटु से कटु स्थिति में संसदीय वातावरण के अन्तर्गत कार्य करेंगे, यही हम चेष्टा करेंगे। तो मैं श्रीमन्, फिर मैं आपको बधाई देता हूं

कि आप जैसे अनुभवी को हमारा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि अगर आप को शासन में रहने का मौका मिला होता तो अधिक कुशलता से उसका निर्वहन करते, लेकिन मुझे आशा है कि अध्यक्ष के रूप में रहकर उससे अधिक मार्ग दर्शन हम सभी को देंगे।

मैं इस अवसर पर इस विधान सभा के अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह के प्रति भी दो शब्द कहना चाहूंगा। उन्होंने पिछली विधान सभा को जिन कठिन परिस्थितियों में स्पीकर के पद पर रहकर गौरवान्वित किया वह एक मिसाल है। जिस प्रकार उन्होंने कठिन परिस्थिति में पिछली विधान सभा को चलाया, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उनके प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रदर्शित करूं। उन्होंने जो विनियमन, जो रूलिंग और जो निर्णय दिए और जो गुत्थियां उत्पन्न हुयीं उनका समाधान किया, मैं समझता हूं कि विधान सभा के सभी लोग उनके आभारी रहेंगे। जो निर्णय उन्होंने दिए और जो व्यवस्थाएं दीं, मैं समझता हूं कि वे भविष्य के लिए उदाहरण रहेंगी।

इसके साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष, श्री कुशवाहा जी थे जिन्होंने इस पद पर आसीन होकर व्यवस्थाएं और रूलिंग्स दीं, उनके लिए भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

मैं एक बार फिर आपके इस पद पर चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आप का अभिनन्दन करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, सातवीं विधान सभा का आपका अध्यक्ष चुना जाना यह अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपका अभिनन्दन करता हूं। मान्यवर, बहुत सी बातें माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, नेता विरोधी दल ने कह दिया है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक-दो बातें कहना चाहता हूं। आप जिस कुर्सी पर आज विराजमान हैं, उस पर इसके पहले बहुत से बड़े-बड़े महानुभाव इस पद को सुशोभित कर चुके हैं।

आपका जो पद है वह दलीय हितों से ऊपर है और आप के द्वारा विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों की सबसे ज्यादा रक्षा होनी चाहिए क्योंकि सरकार सत्ता के मद में और संख्यासुर के मद में बहुत से जनहित के प्रश्नों की, जन आकांक्षाओं को दबाने की चेष्टा करेगी और पहले भी दबाती रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जन आकांक्षाओं को प्रकट करने, प्रदेश की बहबूदी के सवालों को माननीय सदन में आपके माध्यम से रखने के लिए, माननीय सदस्यों के अधिकारों की आप रक्षा करेंगे और सरकार के ऊपर थोड़ा सा अंकुश रखेंगे।

मेरा आपसे परिचय इस सदन में बहुत पुराना है, उस समय से है जब से आपने संसदीय कार्य संभाला और आपने बहुत से सरकारी पदों को सुशोभित किया है। आपका बहुत ही अनुभव है। उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल ने कहा, उसका लाभ हमारे जो माननीय सदस्य हैं, चाहे इस पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के, सब को मिलना चाहिए। यही मुझे आपसे आशा है। अन्त में, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मेरी और हमारे दल की ओर से इस सदन की नियमावली के अनुसार चलाने में सदैव हमारा सहयोग रहेगा। फिर मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं।

अन्त में मैं श्री वासुदेव सिंह जी व कुशवाहा जी, जो हमारे पिछले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं और जिन्होंने जिस कार्य कुशलता से पिछली विधान सभा के कार्य को संचालित किया है, उनके प्रति भी अपना और अपने दल का आभार प्रकट करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सद्भावना उन महानुभावों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

माननीय, अभी और लोग भी बोलना चाहते हैं।

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मुझे निवेदन करना है कि आप जिस गरिमा की कुर्सी पर सुशोभित हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई, आप निर्विरोध चुने गए जिसके लिए मैं अपनी और अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं। माननीय, जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल जी ने कहा, आपको संसदीय परम्पराओं का पूर्ण रूप से ज्ञान है। मुझे आशा है कि आप दलीय स्तर से उठकर सभी दलों को समान देखते हुए इस सदन को गौरवान्वित करेंगे। माननीय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी पर माननीय पुरुषोत्तम दास टंडनजी, माननीय आत्माराम गोविन्द खेर जी, माननीय मदन मोहन वर्मा जी और माननीय वासुदेव सिंह जी उस कुर्सी पर बैठे और इस सदन को काफी विवेक से चलाया, कभी हंसी रहती थी और कभी वे प्रभाव डालते रहे। उनसे पूरा सदन प्रभावित रहा। उसी प्रकार मुझे श्रीमन् से भी आशा है कि दलीय स्तर से उठकर पूरे सदन के माननीय सदस्यों को चाहे वे बड़े दल के हों या छोटे दलों के हों, सब को संसदीय प्रणाली के अनुसार बोलने का मौका देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुन: आपको बधाई देता हूं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय.....

एक सदस्य—

माननीय, एक ही दल की ओर से बोल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

माननीय, सब विधायकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। जैसा कि नेता सदन और नेता विरोधी दल ने आपके बारे में कहा है, आप प्रदेश के एक महान् राजनीतिज्ञ और अच्छे व कुशल कार्यकर्ता रहे हैं और आपका अनुभव शासन चलाने का रहा है। हमारा और आपका परिचय तभी से रहा है जब से मैं इस एसेम्बली का सदस्य रहा हूं। आपने सदैव ही कमजोर वर्गों की रक्षा की है और उनकी रक्षा के लिए हमेशा प्रयास किया है, उनके हितों को हमेशा रक्षा करने के लिए आप आगे रहे हैं। आप सदन के अन्दर और बाहर सदैव कमजोर वर्गों की रक्षा करते रहेंगे। इस समय आपके बारे में कुछ और अधिक कहना उचित न होगा। क्योंकि हमारे जो पहले वक्ता रहे हैं, उन सब ने आपके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अन्त में मैं अपनी ओर से और अपने पीछे बैठे हुए सदस्यों की ओर से आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि सदन के अन्दर सभी सदस्यों, चाहें वे विरोधी दल के हों, चाहे सरकारी पक्ष के हों, सब की रक्षा आप से होगी। मैं पुन: स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा माननीय सदस्यगण।

इस देश के सब से बड़े प्रदेश की विधान सभा के उच्चतम पद पर आसीन करके जो गौरव, सम्मान और आदर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तथा विशेष विभूति सम्पन्न व्यक्तियों की सभा का सभापतित्व करना तथा कभी-कभी मध्यस्थता करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन आप लोगों की उदारता, आप लोगों की महानता और आप लोगों के सहयोग के आश्वासन के सहारे, मैं समझता हूं, हम लोग ऐसी परम्पराओं को उपस्थित करेंगे जिससे कि जनता को भी लोकतांत्रिक प्रणालियों की मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करने में सहायता मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं जानता हूं कि यह सदन जनता की आकांक्षाओं, जनता की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है, इसलिए विचारों में विभिन्नता होना और विभिन्नता के साथ-साथ अपने विश्वासों में दृढ़ता होना बड़ा स्वाभाविक है। ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि इस सदन में गरमी हो सकती है, उत्तेजना हो सकती है और कभी-कभी इस पीठ का कार्य बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब जनता ने अपना विश्वास लोकतन्त्र के अन्दर इस चुनाव में प्रकट किया और लोकतन्त्र को पुनः रेल पर लाकर खड़ा कर दिया, तो जन-प्रतिनिधि भी जनता की इस मान्यता को, आदेश को हमेशा अपने सामने रखेंगे।

मैं जानता हूं कि मेरे पूर्वाधिकारी पूज्य राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने इस महान् आसन को सुशोभित करके एक आदर्श उपस्थित किया था और उन्होंने कहा था कि यदि एक भी सदन के सदस्य का विश्वास उनके प्रति नहीं रहता है तो वे एक क्षण के लिए भी इस पर बैठना पसन्द नहीं करेंगे। मैं भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस दिन इस सदन के एक भी सदस्य का विश्वास मुझे प्राप्त नहीं होगा, मैं इस पीठ को छोड़ दूंगा। (मेजें थपथपायी गयीं।)

अध्यक्ष पद का कार्य अत्यन्त कठिन है। कभी-कभी ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि दोनों पक्षों को संतोष न हो, लेकिन अध्यक्ष का कार्य तो एक रेफरी का है और लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष का भी बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान है और जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में इस बात की घोषणा की है कि हम विरोधी पक्ष को उचित सम्मान प्रदान करेंगे, उनके मत का आदर करेंगे। लोकतन्त्र की प्रणाली पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक विचार-विमर्श के ऊपर अवलंबित है, इसलिए पारस्परिक विश्वास से और पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान से हम लोग लाभान्वित अपने को करने की कोशिश करेंगे और सदन का कार्य इस प्रकार से संचालित करेंगे जिससे इसकी गरिमा, महानता और इसका बड़प्पन बराबर अक्षुण्ण बना रहे। मैं आपका सहयोग चाहता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि जो आदर्श श्री टंडन जी ने पेश किया, उनके पद-चिन्हों और सदन के पूर्व अधिकारियों के जो ऊंचे आदर्श और परम्पराएं हैं उन पर चल सकूं। माननीय नेता सदन और माननीय विरोधी दल के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो मुझे सहयोग का आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। उनका यह आश्वासन मेरे लिए एक अवलम्ब होगा और उसकी सहायता से इस सदन की कार्यवाही का संचालन करने में मुझे बहुत सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि यह सदन हमारे इस देश में जैसा कि इसका स्थान है और सबसे बड़ा प्रदेश है और जैसा कि यहां के स्पीकर्स ने परम्परा रखी है उनको बनाए रखना है मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सन् 1964 में इस सदन का विवाद न्यायालय से चला था और यह सदन सदा अपने अधिकार, अपनी परम्पराओं और अपनी मर्यादाओं का एक सतर्क प्रहरी रहा है और वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और अध्यक्ष ने इस सदन की मर्यादाओं की पूरी तरह से रक्षा की। मैं उन मर्यादाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। एक बार पुनः माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सी0 पी0 आई0के नेता, निर्दलीय नेता, मार्कसिस्ट नेता, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं एक बार फिर आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने सर्वसम्मति से यह गुरुतर भार मेरे कन्धों पर रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी सहायता से मैं इसको पूरा करूंगा और जो विश्वास आपने मुझ में प्रकट किया है मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उसके लिए मैं सही पात्र बन सकूं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

अब हम उठते हैं और आप सभी 3 बजे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए फिर एकत्रित होंगे। माननीय राज्यपाल यहां 3.00 बजे ठीक आ जायेंगे। 3 बजे विधान परिषद् और विधान सभा की संयुक्त बैठक होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप 2.45 पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम उठते हैं और 4.30 बजे सदन की बैठक फिर होगी।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 37 मिनट पर स्थगित हुआ तथा 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापत्विव में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

"माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रांति की ऐतिहासिक परिणति है। पहली क्रांति सन 1947 की 15 अगस्त को हुई थी और द्वितीय क्रांति वर्ष 1977 में दो चरणों में पूरी हुई, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने क्रमशः लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में तानाशाही के विरुद्ध और लोकतन्त्र के पक्ष में अपना निर्णायक मत दिया।..

* * * *

माननीय सदस्यगण, हाल में ही हुए चुनावों ने समस्त संसार को यह दिखा दिया है कि इस देश में प्रजातन्त्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और प्रजातांत्रिक संस्थाओं एवं मूल्यों के प्रति हमारी पूर्ण आस्था एवं निष्ठा है। प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने के गुरुत्तर उत्तर-दायित्व को जिसे आपके उत्तर प्रदेश की जनता ने डाला है, निष्ठा के साथ निर्वहन के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।"

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 19 पर)

भूतपूर्व सदस्य, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा श्री अयोध्या प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय नेता सदन जिन माननीय सदस्यों का निधन हुआ है, उनके सम्बन्ध में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दिनों हमारे दो भूतपूर्व सम्माननीय सदस्यों का निधन हो गया है। जिनमें से श्री वेद प्रकाश अग्रवाल जोकि फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, हमारी जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव के सिलसिले में जिस समय वह प्रचार कार्य में व्यस्त थे, यकायक अस्वस्थ पड़ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्य से वह हमारे बीच नहीं रहे, अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी जो सेवाएं रही हैं और जनता के बीच में जिस तरह से सेवा-भाव लेकर वह बराबर कार्य करते रहे हैं, वह हमारे लिए मार्ग-दर्शन का काम करता रहेगा। आज इस अवसर पर जबकि वह हमारे बीच में नहीं हैं, मुझे विश्वास है कि जिन नीतियों को लेकर, जिन सिद्धान्तों को लेकर और जिस समाजवाद का व्रत लेकर वह बराबर अथक प्रयास करते रहे और अस्वस्थ होने पर भी चुनाव संघर्ष में लोकतन्त्र की प्रक्रिया को ठीक से चलाने में व्यस्त रहे वह हमारे मार्ग-दर्शन का काम करते हैं। यह हमारे लिए बड़े ही दुख का विषय है कि आज वह हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दूसरे, हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री अयोध्या प्रसाद जी थे जोकि दो बार चुन कर आए थे, वह भी हमारे बीच नहीं रहे। ये झांसी के निवासी थे। उनकी कार्यनिष्ठा और जिस तरह से वह जनता के बीच में लगन से काम करते थे, उसे हम नहीं भुला सकते हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला था जिनसे वह अच्छी तरह से परिचित हैं। वह हमेशा लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। समाज के प्रति निष्ठा और राजनैतिक क्षेत्र में जिस ईमानदारी का उन्होंने परिचय दिया था, मैं समझता हूं कि वह हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय रहा है। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। उनका अभाव खटकता है। मैं उनके प्रति भी अपनी और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश जी अग्रवाल व स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रसाद जी के संबंध में माननीय नेता सदन ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमन्, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ सन् 1974 से कि मैं श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के व्यक्तित्व की विशेषताओं से परिचित हो सकूं। वह एक अत्यन्त गम्भीर, दृढ़ निश्चयी, मृदु-भाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उन्हें कभी कठिन अवसरों पर भी और जबकि विचार-वैभिन्य की प्रक्रिया में यहां पर कटुता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था, तब भी मैंने देखा कि अपने गाम्भीर्य का परिचय देते हुए एक पार्लियामेंटेरियन रहते हुए इस सदन में सदैव शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने सहायता की और सदन की मान मर्यादाओं और परम्पराओं के अनुसार सदन की कार्य प्रणाली को और यहां की कार्यवाही को शान्तिपूर्वक चलने देने में निरन्तर सहायता की और अपना योगदान दिया।

वेद प्रकाश जी अग्रवाल फैजाबाद के प्रतीक थे और अयोध्या तथा फैजाबाद की संस्कृति का समन्वय उनके व्यक्तित्व में था। विचार वैभिन्य की प्रक्रिया में जीवन में और विशेषकर राजनैतिक जीवन में कभी-कभी कुछ कटुता भी आ जाती है, लेकिन व्यक्तिगत सम्बन्धों में किसी प्रकार का कलुष मैंने उनमें कभी नहीं देखा। ऐसे प्रेरणाप्रदायक व्यक्तित्व से हम वंचित हुए, यह अत्यन्त दुर्भाग्य हमारे लिए है। मैं अपने दल की ओर से उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करता हूं और श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक-सन्तप्त परिवार के लोगों तक हमारी भावनाओं, समवेदनाओं को आप प्रेषित करने की कृपा करें।

झांसी के नर-रत्न, श्री अयोध्या प्रसाद की दुखद मृत्यु ने हम सबको शोकाकुल कर दिया है। अयोध्या प्रसाद ने केवल, बुन्देलखण्ड की सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे, बल्कि वह शिक्षा जगत में व सामाजिक जीवन में अनेकानेक संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं और उन्होंने उन्हें अपने व्यक्तित्व से देदीप्यमान किया है। वह हथकरघा और बुनकरों की समस्याओं से भी सम्बद्ध रहे थे और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है उनकी यहां ही एक दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई। यहां विधान सभा के मार्ग में दुर्घटनावश उनकी जो मृत्यु हुई, वह हमारे लिए विशेषकर दुःख का विषय है। लेकिन हमें विश्वास है, झांसी और बुन्देलखण्ड अंचल की जो क्षति हुई है, उनके नेतृत्व की जो रिक्ति हुई है, वह हमारी समवेदनाओं को सदन के माननीय सदस्यों की किंचित श्रद्धांजलि स्वरूप समवेदना के स्वर प्रदान करेंगे। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद जी के परिवार के प्रति हमारे विरोधी दल की और जैसा कि नेता सदन ने कहा है, सारे सदन की समवेदनाओं को श्रद्धांजलि सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वेद प्रकाश अग्रवाल के निधन से जो क्षति फैजाबाद की हुई है, उसको मैं समझता हूं निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता है। वेद प्रकाश अग्रवाल सन् 1974 के पहले भी इस माननीय सदन के सदस्य रहे और उनकी लगन, उनकी कार्य-प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, जिसका जितना आदर किया जाय, वह कम ही है। जैसा माननीय नेता सदन ने उनके बारे में उद्गार प्रकट किया, माननीय विरोधी दल के नेता ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

उसी तरह, बुन्देलखण्ड झांसी के श्री अयोध्या प्रसाद पुराने कार्यकर्ता बहुत ही मृदु भाषी थे। वह भी हमारे बहुत ही जाने-माने माननीय सदस्यों में थे। उनके निधन से बुन्देलखण्ड की जो क्षति हुई है उसको निकट भविष्य में पूरा करना बड़ा ही मुश्किल है। उनका सामाजिक जीवन में और बहुत से सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान था। झांसी में खासकर और बुन्देलखण्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। वह अच्छे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]
सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भी निधन से हमारा सदन दुखी है। उनके बारे में जो उद्गार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारे दल की ओर से तथा हमारी समवेदना को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

श्रीमन्, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, जिला फैजाबाद और श्री अयोध्या प्रसाद, जिला झांसी, यह दोनों ही बहुत अच्छे समाजसेवी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से उनके ज़िलों को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है जिसका पूरा होना सम्भव नहीं है। माननीय नेता, सदन और नेता विरोधी दल ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों को हमारे दल की समवेदना भेज दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल और श्री अयोध्या प्रसाद के निधन पर जो शोक और समवेदना की भावना माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने, श्री ऊदल और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने प्रकट की है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री वेद प्रकाश अग्रवाल और श्री अयोध्या प्रसाद के निकट सम्पर्क में आने का मुझे अवसर मिला था। श्री अयोध्या प्रसाद काफी समय तक विधान सभा में मेरे साथ सदस्य भी रहे। श्री वेद प्रकाश अग्रवाल फैजाबाद के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के केन्द्र बिन्दु थे। फैजाबाद में और लखनऊ में कई दफा मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि जब वह चुनाव के मैदान में थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गयी। श्री अयोध्या प्रसाद लखनऊ में दुर्घटना के शिकार हो गए। मैं भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और जो भावनाएं प्रकट की गयीं हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं सदन की भावनाएं उनके संतप्त परिवार तक भेजवा दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि दो मिनट खड़े होकर उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1977†

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके आदेश से उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अध्यादेश, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (द्वितीय) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश †

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 2 के अधीन जारी किए जाने वाले एक प्रस्तावित आदेश (अधिसूचना) को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1976††

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 4380/14-2-188-75, दिनांक 22 जनवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिक्लस (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976††

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 7049-2/30—4-91-के0एम0-74, दिनांक 19 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976††

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0 8455-टी/तीस—4—38—पी—67, दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975—76†

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975-76 को सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट सहित कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 1976††

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग-4 की अधिसूचना सं0 6275/12(4)—175—75, दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने) (तेरहवां) आदेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना सं0 11287/15—10—76—60(95)—75, दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तेरहवां) आदेश, 1976 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति के तृतीय प्रतिवेदन को, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की याचिका समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का अष्टम प्रतिवेदन †

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति के अष्टम प्रतिवेदन को, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

भूतपूर्व सदस्य, चौधरी चरण सिंह की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन को सूचित किया जाता है कि उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोपन अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 6 मई, 1977 के साथ प्राप्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए0एस0/मीसा/76—3028, दिनांक 10 मार्च, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 6 मई, 1977 को प्राप्त हुआ के अनुसार श्री चरण सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा (मेरठ) को उनके विरुद्ध निरुद्धि आदेश के विखंडित किए जाने पर उन्हें दिनांक 7 मार्च, 1976 को रिहा किया गया। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 8 तथा 42 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977†

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†12 जुलाई, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया।

श्री अध्यक्ष —

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
12 जुलाई, 1977।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 12 पर)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रान्ति की ऐतिहासिक परिणति है। पहली क्रान्ति सन् 1947 की 15 अगस्त को हुई थी और द्वितीय क्रान्ति वर्ष 1977 में दो चरणों में पूरी हुई, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने क्रमशः लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में तानाशाही के विरुद्ध और लोकतन्त्र के पक्ष में अपना निर्णायक मत दिया।

आपात्काल की घोषणा, स्वतन्त्रता के बाद आया, देश का सबसे बड़ा संकट थी। इसमें संविधान की आत्मा का हनन कर दिया गया, मानवीय अधिकारों पर घातक प्रहार किया गया, अखबारों की आजादी, लेखन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सभी प्रकार के नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए, न्यायालय की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप किया गया व संसद सदस्यों एवं विधायकों को भी बिना कारण बताए नजरबन्द किया गया, न्यायालयों के निर्णयों और विधान मण्डल की कार्यवाही तक के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी। देश में आतंक की विभीषिका छा गयी, जिसमें सांस लेना दूभर हो गया।

पिछले मार्च के लोकसभा के निर्वाचन ने जनता को इस विभीषिका के अन्त का आरम्भ करने का जो मौका दिया, उसकी पूर्ति विधान सभा के चुनाव में हुई।

जनता ने अपने निर्णय के द्वारा शासन को आदेश दिया है कि वह लोकतन्त्र, नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुनः प्रतिष्ठा करे, और मेरी सरकार का संकल्प है कि इसके लिए वह सभी आवश्यक कदम उठायेगी। अखबारों को विधान मण्डल की कार्यवाही का स्वतंत्रतापूर्वक सही विवरण देने का जो अधिनियम आपात्काल में रद्द कर दिया गया था, उसे वापस करने के लिए इसी सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

मेरी सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण की रहेगी। नगर महापालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों व मण्डी समितियों के चुनाव जो बहुत वर्षों से रुके हैं, शीघ्र कराये जायेंगे। इस प्रकार इन संस्थाओं का संचालन अधिकारीगण से हटाकर जनता के प्रतिनिधियों को शीघ्र सौंपा जायगा।

मेरी सरकार का प्रथम ध्येय प्रशासन में उन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना होगा जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारा मार्ग प्रशस्त किया था। शासन में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम को आज से लागू किया जा रहा है। इस समय उसकी परिधि मुख्य मन्त्री को छोड़कर, अन्य सभी मन्त्री, सचिव तथा सार्वजनिक जीवन में अधिकांश उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति आते हैं। मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि सार्वजनिक निगमों के अन्य उच्च पदाधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाय। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार का यह भी निश्चित मत है कि लोकपाल अथवा लोक आयुक्त की परिधि में मुख्य मन्त्री को भी होना चाहिए। यह संस्था उच्चस्तरीय लोक-सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के अतिरिक्त जनता के प्रति अन्याय की अन्य विशिष्ट शिकायतों पर भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष रूप से विचार करके प्रभावी कार्यवाही कर सकेगी। उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक विधेयक आपके सामने शीघ्र लाया जायेगा।

साथ ही प्रशासन को अधिक सक्षम व कुशल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जायेंगे। इस दिशा में ऐसे उपाय किए जायेंगे जिनसे विभिन्न स्तरों पर व्याप्त अवरोध कम किया जा सके। प्रशासन में सामान्य रूप से, और पुलिस विभाग में विशेष रूप से, भ्रष्टाचार के अवसरों को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जायेंगे।

समय-समय पर उच्चस्तरीय आयोग व समितियां भ्रष्टाचार को दूर करने तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाने के उपाय बताने के लिए गठित की गयीं, किन्तु पिछली सरकारों ने उनकी संस्तुतियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम कमेटी तथा राज्य पुलिस आयोग की संस्तुतियों का शीघ्र परीक्षण करके विशिष्ट कदम उठायेगी। मेरी सरकार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से यह अपेक्षा करती है कि वे जनता को इस बात की अनुभूति करायें कि शासनतन्त्र जनता की सेवा के लिए है। उच्चतम अधिकारियों को उनके अधीनस्थ विभागों में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जायगा। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर यह अपेक्षा की जायेगी कि जनता की बात सुनी जाय और उनकी उचित शिकायतों और समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र व सहानुभूति के साथ समाधान किया जाय, ताकि जनता व शासनतन्त्र के बीच सौहार्द्र के सम्बन्ध कायम हों, और भय एवं अविश्वास के स्थान पर आत्म-अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो।

आपातस्थिति के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों अथवा अध्यापकों को अनुचित रूप से प्रताड़ित या पीड़ित किया गया पाया जायगा उनके सम्बन्ध में यथास्थिति लाने के आदेश मेरी सरकार नें जारी कर दिए हैं।

मेरी सरकार शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत-संकल्प है। कानून का उल्लंघन करने वालों के तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायगी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायगा।

न्यायालयों में शीघ्र फैसले हो सकें, इसके लिए सिविल तथा दण्ड प्रक्रिया में सुधार किया जायगा व न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जायगी और उनके सम्पर्क में आने वाली जनता, अर्थात् वादकारियों तथा गवाहों के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जायंगी तथा मुफ्त कानूनी सहायता की योजना को बढ़ावा दिया जायगा। कानून में ऐसे संशोधन भी किए जायेंगे जिससे अधिक से अधिक मामले बिना न्यायालय में जाये निपटाये जा सकें।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेगी, और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी और आवश्यकतानुसार, सामूहिक जुर्माने भी आरोपित करेगी। साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसी घटनाओं से त्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाये।

हरिजनों व अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास स्थल व पेयजल तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जायगा व उनमें गति लाई जायगी।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान गतिरोध को दूर करने के लिए कोठारी आयोग की संस्तुतियों का यथासम्भव कार्यान्वयन किया जायगा। प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता के मामले पिछले कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े थे। मेरी सरकार ने उन पर निर्णय लेना प्रारम्भ कर दिया है। सभी मामलों में गुणावगुण के आधार पर शीघ्र निर्णय लिए जायेंगे।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित लगभग 55 निगम हैं जिनमें अब तक राज्य सरकार की सैकड़ों करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। इनके कार्यकलाप तथा कार्य-प्रणाली व उनकी आर्थिक व सामाजिक उपलब्धियों का मेरी सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जायगा। इन निगमों को राजनैतिक उपहार का माध्यम नहीं बनने दिया जायगा। इन निगमों में व्याप्त फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जायगी।

मेरी सरकार प्रदेश की राजभाषा हिन्दी के उन्नयन के लिए कृत संकल्प है। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए यथोचित कदम उठाए जायेंगे। शासन भाषा और साहित्य के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहता, इसलिए हिन्दी, उर्दू और संस्कृत के

उन्नयन के लिए जो संस्थान व अकादमियां बनी हैं, उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए पूरी सुविधा दी जायगी। उर्दू को यथोचित मान और प्रोत्साहन दिया जायगा और उर्दू में शिक्षा की पूरी सुविधाएं दी जायेंगी।

मेरी सरकार अल्प-संख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। अल्प-संख्यक आयोग का कार्य-क्षेत्र विस्तृत किया जायगा व उसको अधिक शक्तियां देकर प्रभावशाली व सक्षम बनाया जायगा।

मेरी सरकार योजना के क्षेत्र में कृषि, सिंचाई, विद्युत् व ग्राम्य जीवन के सुधार को प्राथमिकता देगी। पिछले तीस वर्षों से सरकार का रुख शहरों की ओर रहा है, मेरी सरकार अब विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर बल देगी। मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुतियों का यथासम्भव कार्यान्वयन किया जायगा। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी और विशेष रूप से छोटे एवं कमजोर कृषकों को उत्पादकता तथा फसल सघनता बढ़ाने के लिए सुविधाएं देने का प्रयास किया जायगा। गांवों मे अधिक से अधिक रोजगार के साधन उत्पन्न हो सकें, इस हेतु ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को सरकार बढ़ावा देगी। इस हेतु मेरी सरकार ने ग्रामीण उद्योग का एक नया विभाग भी स्थापित किया है।

सरकार इस बात पर विशेष बल देगी कि हर गांव में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो। प्रदेश में लगभग 35,000 गांव सूखे की श्रेणी में आते हैं जहां ग्राम वासियों को पानी के लिए तीन किलोमीटर तक चलना पड़ता है और पहाड़ों में 150 मीटर तक नीचे जाकर नदियों से पानी लाना पड़ता है। ऐसे गावों में पानी की व्यवस्था के लिए सरकार उच्च प्राथमिकता देगी।

दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जायगा तथा उनकी वितरण प्रणाली में सुधार किया जायगा ताकि कीमतों पर नियन्त्रण रखा जा सके। मुनाफाखोरी व जखीरेबाजी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग किया जायगा।

मेरी सरकार चाहती है कि व्यापार में अनावश्यक बाधाओं व परेशानियों को समाप्त करने हेतु बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से विस्तार से विचार-विमर्श करना होगा। इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए फिलहाल प्रक्रिया को सरल करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने कुछ ही दिन पूर्व कार्यभार सम्भाला है और अभी योजना आयोग द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना को भी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। हाल ही में योजना आयोग का पुनर्गठन हुआ है और प्रदेश की योजना के पुनरीक्षण पर राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। ऐसी दशा में योजना के बारे में विस्तार से आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय मेरी सरकार अपनी नीतियों की घोषणा करेगी। इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी उपरोक्त घोषित नीतियों के परिपेक्ष्य में समस्त योजना का पुनरीक्षण करेगी और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करेगी व अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष बल देगी। साथ ही आडम्बर व फिजूलखर्ची तथा अनुत्पादक व्ययों को कम करने की भरसक कोशिश करेगी, जिससे एक ओर तो, विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सके, व दूसरी ओर, समाज में अमीरी के उद्धृत प्रदर्शन तथा उच्छृंखल उपभोग के स्थान पर सादगी का वातावरण बने।

मितव्ययता तथा प्रशासनिक दृष्टि से कानपुर देहात जिले को तथा मुरादाबाद मण्डल को समाप्त कर दिया गया है। बिजनौर जिले को मेरठ मण्डल में सम्मिलित कर दिया गया है ।

इस सत्र में वित्तीय कार्य के अतिरिक्त आपके सम्मुख कुछ विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे जिनमें से कुछ को मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं व शेष, अधिकतर, अध्यादेशों को, आवश्यक संशोधनों के साथ, प्रतिस्थापित करने के लिये होंगे ।

माननीय सदस्य गण, हाल में ही हुए चुनावों ने समस्त संसार को यह दिखा दिया है कि इस देश में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और प्रजातांत्रिक संस्थाओं एवं मूल्यों के प्रति हमारी पूर्ण आस्था एवं निष्ठा है। प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने के गुरुतर उत्तरदायित्व को, जिसे आपके उत्तर प्रदेश की जनता ने डाला है, निष्ठा के साथ निर्वहन के लिये मैं आपका आवाहन करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं ।

जय हिन्द ।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 88 वि0 सभा—(251)—1977—840 ।